बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

पत्रांक–05 / स्था0 (आरोप)–02–46 / 2018 पटना दिनांक–

दिनांक–21.04.2018 को मुजफ्फरपुर जिला परिवहन कार्यालय के राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई। दिनांक–21.04.2018 को वाहन 4.0 से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि कुल मो0–5,25,95,362 /– का शुल्क नकद के रूप में जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर के काउन्टर पर जमा किया गया तथा Online के माध्यम से 1,18,32,731 /– रूपया जमा किया गया है। Online जमा की गई राशि मुख्यतः डीलर के द्वारा जमा की गई है।

जब OGRAS के प्रतिवेदन की समीक्षा की गई तो पाया गया कि दिनांक–01.04.2018 से 21.04. 2018 के बीच केवल 118.49 लाख राशि ही सरकारी शीर्ष में जमा की गई है। स्पष्ट है कि जिला परिवहन कार्यालय के काउन्टर पर जमा की गई मो0–5,25,95,362 /– राशि दिनाक–21.04.2018 तक सरकारी शीर्ष में जमा नहीं की गई। सरकारी राशि के बारे में स्पष्ट निदेश था कि प्रत्येक दिन उसे सरकार के यथोचित शीर्ष में जमा किया जाना है। मुजफ्फरपुर जिला परिवहन कार्यालय के संबंधित कर्मी द्वारा इसका स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से पृच्छा करने पर बताया गया कि श्री अजीत शर्मा, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा इस कार्यालय में नजारत का कार्य किया जाता है। इन्हें निदेश दिये जाने के बावजूद भी राशि OGRAS के माध्यम से सरकारी शीर्ष में जमा कराने में कोई रूचि नहीं ली जाती है। आदेश के बावजूद समय पर राशि जमा कराने हेतु चेक उनके पास प्रस्तुत नहीं किया जाता।

उक्त संबंध में विभागीय पत्रांक–2881, दिनांक–26.04.2018 द्वारा श्री अजीत शर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इनके द्वारा दिनांक–02.05.2018 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समीक्षोपरान्त इनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया।

स्पष्ट है कि श्री अजीत शर्मा के द्वारा वरीय पदाधिकारी की निदेश की अवहेलना की गई है। सरकारी राशि लम्बे समय तक सरकारी शीर्ष में जमा नहीं किये जाने के लिए वे प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) के तहत् इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली निर्धारित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री शर्मा को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।
4. प्रस्ताव में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 /–
(शिव बचन सिंह),
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग,बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–05 / स्था0 (आरोप)–02–46 / 2018 3378 पटना दिनांक– 21/5/18

प्रतिलिपिः–सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना / जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ भेजी जाती है कि वे श्री शर्मा के विरूद्ध आरोपों का गठन कर 24 घंटे के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु / श्री अजीत शर्मा, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

21.5.18
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग,बिहार, पटना।

215 F:/Ravi sir/Letter